रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 290] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 23, 1972/पौष 2, 1894
No. 290] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 23, 1972/PAUSA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi the 23rd December 1972

SUBJECT.—*Import Policy for the year April 1972—March 1973.*

No. 191-ITC (PN)/72:—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1972—March 1973 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
67	Section II, S. No. 113-H/V, Column 4	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Requirements of actual users will be met by imports through public sector agency. Please see Section III of this Book."
67	Section II, S. No. 113-J/V, Column 4	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— "Requirements of actual users of Polyethylene moulding powder (both low and high density) will be met by imports through public sector agency. Please see Section III of this Book."

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1972

विषय :-अप्रैल 1972—मार्च 1973 वर्ष के लिए आयात नीति।

संख्या 191—आई० टी० सी० (पीएन)/72—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक—वा० 1) में यथा निर्दिष्ट आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक - वा० 1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेडबुक (वा०-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
67	खण्ड 2 क्रम सं० 113—एच/5, कालम-4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण के माध्यम से किए गए आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा। कृपया प्रस्तुत पुस्तक का खण्ड 3 देखें।"
67	खण्ड 2, क्रम संख्या 113-जे/5, कालम. 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "वास्तविक उपयोक्ताओं की पालिथिलीन मोल्डिंग पाउडर (दोनों हलका तथा भारी घनत्व) की आवश्यकताओं को सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण के माध्यम से किए गए आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा। कृपया प्रस्तुत पुस्तक का खण्ड 3 देखें।

SUBJECT.—*Supply of Steel for the execution of orders for projects financed under the IDA Credits.*

No: 192-ITC (PN)/72:—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 56-ITC(PN)/72 dated the 18th April, 1972 in terms of which supply of imported steel is made to the registered exporters at the JPC Col. I price or the ruling H.S.L. price (where JPC price is not available) plus 2% thereof for the execution of export orders, held by them, for which the requisite quantum of steel is not available indigenously.

2. It has been decided that steel will also be made available in terms of the aforesaid Public Notice for the execution of orders received from projects including State Electricity Boards and financed under the IDA Credit. Supply of steel in such cases will be made at the JPC price or the ruling HSL price (where the JPC price is not available) plus 2% thereof less the quantum of excise duty leviable.

3. Applications are to be made through the Engineering Export Promotion Council and the DGTD (EPE-CELL) in the manner laid down in para 3 of the aforesaid Public Notice.

विषय.—आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त की गई परियोजनाओं के लिए आदेश देने के लिए इस्पात का संभरण।

सार्वजनिक सूचना संख्या 192–आई० टी० सी० (पीएन)/72—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 56–आई० टी० सी० (पी एन)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार पंजीकृत निर्यातकों को उनके द्वारा धारण किए हुए उन निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए जिन के लिए आवश्यक प्रमात्रा में देशी इस्पात उपलब्ध नहीं है, आयातित इस्पात का संभरण संयुक्त संयंत्र समिति-कालम-1 की कीमत पर अथवा प्रचलित हिन्दुस्तान लि० की कीमत पर और उसके साथ 2% और जोड़कर (जहां संयुक्त परियोजना समिति कीमत उपलब्ध न हो) किया जाता है।

2 यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड सहित और आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत अर्थयुक्त की गई परियोजनाओं द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों के निष्पादन के लिए भी इस्पात उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे मामलों में, इस्पात का संभरण, संयुक्त संयंत्र समिति की कीमत पर या प्रचलित हिन्दुस्तान इस्पात लि० की कीमत पर (जहां संयुक्त संयंत्र समिति की कीमत उपलब्ध नहीं है) और इसके साथ 2% और को जोड़ कर जो लगाए जाने वाले उत्पाद कर प्रमात्रा से कम हो, किया जाएगा।

3 आवेदन पत्र, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 3 में निर्धारित विधि से अभियांत्रिक निर्यात संवर्धन परिषद तथा तकनीकी विकास निदेशालय (ई पी ई–मेल) के माध्यम से किए जाने हैं।

SUBJECT:—*Import of revolvers.*

No: 193-ITC (PN)/72:— Under the existing policy, the import of revolvers for commercial purposes is not allowed. Requests for import of revolvers of non-prohibited bores offered as free gift to inlividuals form near relations abroad are, however, considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, on merits, on production of satisfactory evidence, subject to the condition that the imported revolvers shall be for the personal use of the applicant and shall not be sold or disposed of in any manner. It has been decided that, in such cases, requests for sale may be considered after a period of ten years from the date of importation, if the Chief Controller of Imports and Exports is satisfied that the applicant is not in a position, for valid reasons, to keep the revolver, in question, any longer for his own use.

M. M. SEN,
CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

विषय.—रिवाल्वरों का आयात।

संख्या 193–आई० टी० सी० (पीएन)/72.—वर्तमान नीति के अनुसार, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए रिवाल्वरों के आयात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन, उन अप्रतिबन्धित बोर के रिवाल्वरों के आयात के लिए प्रार्थनाओं पर विचार मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा पात्रता के आधार पर, संतोषजनक साक्ष्यों के प्रस्तुतीकरण पर किया जा सकता है जो विदेशों में रहने वाले नजदीकी सम्बन्धियों द्वारा व्यक्तियों को मुफ्त उपहार के रूप में दिए जाते हैं, किन्तु, यह इस शर्त के अधीन है कि आयातित रिवाल्वरों को आवेदक के निजी उपयोग में लाया जाएगा तथा किसी भी तरह उन्हें बेचा नहीं जाएगा या निपटाया

नहीं जाएगा। यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में विक्रय करने से सम्बन्धित प्रार्थनाओं पर विचार उसके आयात करने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के बाद किया जा सकता है, बशर्ते कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात इस बात से सन्तुष्ट हो जाते हैं कि वैध कारणों से आवेदक इस स्थिति में नहीं है कि विषयाधीन रिवाल्वर को अपने खुद के उपयोग के लिए रख सके।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI, 1972